दृष्टान्तदार
identified by 19/6/18
(वकील प्रार्थी)

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में पंचायत मुख्यालय नाकोड़ा में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण को जरियें रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–पंचायत मुख्यालय नाकोड़ा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.98/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्रीयादें जी का मंदिर,प्रजापत समाज भुंका भगतसिंह जरिये महन्त हनुमानदास चेला मोहनदासजी महन्त पता श्रीयादें जी मंदिर,भुंका भगतसिंह तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.नारायणदास पुत्र रतनदास 2.बाबुदास पुत्र रतनदास 3.अणसीदेवी पत्नि रतनदास जाति वैष्णव निवासी भुंका भगतसिंह तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री अमराराम चौघरी,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

दिनांक–19.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है;कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भुंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 04 बीधा तहसील सिणधरी की भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम भुंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 04 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

..प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भुंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 04 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम भुंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 04 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सीमाज्ञान रिर्पोट 17.4.2018 एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम भुंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 04 बीधा भूमि श्रीयादे जी का मन्दिर नाम समस्त प्रजापत समाज की आवगी खातेदारी में दर्ज है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। एवं सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 17.4.2018 में सीमाओं को विवाद होना उल्लेखित किया गया है। इससे भी स्पष्ट है,कि सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसीयों में आपसी विवाद उत्पन्न है,इस कारण मौके पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जानी आवश्यक है,इस कारण प्रार्थी काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम भुंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

की खेत खसरा संख्या 26 रकबा 04 बीधा भूमि के सबंध में भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी वं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.6.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner